कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याःएम0ई0–3 / पी0जी0–2024 / 2702 लखनऊःदिनांक 27 नवम्बर, 2024

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 के प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने के संबंध मे महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया नामित नोडल सेन्टरों पर पूर्ण की जायेगी।

3. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

4. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय मूल शैक्षणिक / आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

5. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं।

6. शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28.10.2024 तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है।

7. आवंटन प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी को मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

9. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।

10. दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत ही मान्य होंगे।

11. अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।